माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C COPY

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 614 / डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
विष्णुकामता शिक्षा महाविद्यालय
प्लाट खसरा नम्बर 194 / 2 गढ़ी रोड
ग्राम धुरेहटी रीवा पोस्ट तहसील
जिला रीवा (म.प्र.)–486001

विषयः– डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भः– आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

----//----

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/– के चालान दिनांक 31.08.2011 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/– के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 901 दिनांक 26.10.2012 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.–586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क के अंतर की राशि रूपये 15,000/– का चालान अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर संबंधित दस्तावेज दिनांक 05.04.2014 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./615/ डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक 26/ 03 /2014

प्रतिलिपिः–

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

E:\ded_cell-2014-15\latter.doc

☎ : कार्या – (0755) 2551650, 2761567 वेब साईट : www.mpbse.nic.in फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 628 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 / 03 / 2014

प्राचार्य / संचालक
कमला मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
प्लॉट नं.–361 / 5के गली नं.–15,
ग्राम पडरा, पो. सीधी
जिला–सीधी (म.प्र.)–486661

विषयः– डी.एड. नवीन संबंद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भः– आपके द्वारा प्रस्तुत संबंद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबंद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जारी मान्यता आदेश दिनांक 02.03.2014 में लेख किया गया है कि यह मान्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. के निर्णय के अध्याधीन होगी। उक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
2. एन.सी.टी.ई. द्वारा अपने पत्र क्र.–116417 दिनांक 07.03.2014 द्वारा मण्डल को उपलब्ध कराई गई 540 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में आपकी संस्था का नाम दर्ज नहीं है।
3. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा अधिकारी जिला–सीधी द्वारा हस्ताक्षरित फोटो युक्त स्टाफ सूची की मूलप्रति संलग्न की गई है। जबकि नियमानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अपने आदेश क्र.–2474 दिनांक 06.0[illegible].2012 द्वारा सीधी जिले में संचालित अशासकीय डी.एड. संस्थाओं के स्टाफ चयन में सहभागिता हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा को अधिकृत किया गया है। मण्डल द्वारा भी संबंद्धता संबंधी निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थाओं में नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारियों की सूची संबंधित जिले के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिये।
4. आवेदन पत्र के साथ दो छायाचित्र संलग्न है जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह छायाचित्र संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ का है अथवा संचालक मण्डल का। छायाचित्र में संस्था का नाम बैनर पर अंकित कर दिखाया गया है, भवन पर अंकित नहीं है। लेख है कि संस्था भवन के सामने से लिये गये छायाचित्र जिसमें संपूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। तथा उक्त छायाचित्रों की पृष्ठ भूमि में संस्था के संचालक

E:\ded_cell-2014-15\latter.doc

मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के नाम एव पद भी स्पष्ट रुप से अंकित हो मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करे।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पाई गई उपरोक्तानुसार कमियों को दूर करते हुये संबंधित दस्तावेज दिनांक 03.04.2014 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./629/ डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 27/ 03 /2014

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर उक्त बिन्दु क्र.–01, 02 एवं 03 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त संबंध में स्पष्ट जानकारी से मण्डल को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि संस्था के संबंद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रकरण का समय सीमा में निराकरण किया जा सके।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल